जवाहर नवोदय विद्यालय, नैचाना जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

अनुपयोगी कम्प्यूटर व कम्प्यूटर संबंधी सामग्री की नीलामी की शर्ते

जवाहर नवोदय विद्यालय, नैचाना, जिला रेवाड़ी(हरियाणा), में **दिनांक 04–12–2018 को दोपहर 03:00 बजे** अनुपयोगी सामग्रियों (कम्प्यूटर व कम्प्यूटर संबंधी) की नीलामी (बंद निविदा आधार पर) गठित कमेटी की उपस्थिति में जहाँ एवं जैसी स्थिति में है को संचालित की जायेगी। इस हेतु शर्ते निम्न प्रकार है–

1. नीलामी का निविदा फार्म कार्यालय समय में दिनांक **04–12–2018 प्रातः 11.30 बजे** तक शुल्क रू 200/–जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है। नीलामी निविदा फार्म सील बंद लिफाफे में दिनांक **04–12–2018 दोपहर 01:00 बजे तक प्राचार्य** कार्यालय में टेण्डर बॉक्स में जमा कराना आवश्यक है। कम्प्यूटर व कम्प्यूटर से संबधित सामग्री की निविदाए दिनांक 04.12.2018 दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।

2. निविदादाता को नीलामी निविदा फार्म के साथ रू 10000/–बतौर धरोहर राशि नगद या बैंक ड्राफट जो कि प्राचार्य, ज.न.वि नैचाना जिला–रेवाड़ी के नाम देय हो), जमा करानी अनिवार्य है जिसे नीलामी समाप्ति के पश्चात समायोजित किया जा सकता है।

3. कम्प्यूटर व कम्प्यूटर संबंधी सामग्री की नीलामी की जानी है उनकी मदवार सूची संलग्न है जिसमें की संख्या वर्णित है इन सामग्री को जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना(रेवाड़ी) में आकर देखा जा सकता है। **अतः निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा फार्म क्रय करने के पश्चात निविदादाता उक्त मदवार वस्तुओं को भौतिक रूप से देख सकते है ताकि निविदादाता आंकलन करके निविदा में दरें वर्णित कर सके।**

4. सभी अनुपयोगी सामग्रियों की संकलित दर निविदा प्रपत्र में वर्णित करेंगे।

5. **प्राप्त नीलामी की निविदाओं को दिनांक 04–12–2018 को प्रातः 03:00 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय, नैचाना(रेवाड़ी) के कार्यालय में उपस्थित निर्धारित निस्तारण कमेटी एव उपस्थित निविदादाता के सम्मुख खोलकर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जायेगा।**

6. विद्यालय द्वारा संबंधित अनुपयोगी सामग्री के लिए न्यूनतम राशि रिजर्व प्राईज के रूप में निर्धारित कर रखी है जो निविदा खुलने के पश्चात सभी निविदादाताओं को बताई जायेगी। अगर रिजर्वप्राईज से कम दर निविदा में आती है तो प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि–

अ– वह चाहे तो दरें स्वीकार करें या अधिकतम दर को स्वीकार नही करें।

ब– अनुपयोगी सामान की दरें खुली नीलामी बोली से उपस्थित निविदादाताओं से उसी समय प्राप्त कर तदनुसार निर्णय ले।

स– निविदा निरस्त कर सकता है।

द– अनुमोदन हेतु पत्रावली क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को भी भेजी जा सकती है।

7– सफलतम निविदादाता को नीलामी के तुरंत बाद निर्धारित रखी हुई अनुपयोगी वस्तुओं की स्वीकृत राशि कार्यालय में 48 घंटो के अन्दर जमा करानी होगी।

8– अगर सफलतम निविदादाता निर्धारित समयावधि (48 घण्टा) राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी।

9– निविदा फार्म में दरों में किसी प्रकार की कांट–छांट नही होनी चाहिए।

10– अधोहस्ताक्षर कर्ता किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है।वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द कर सकता है।

11– धरोहर राशि के अभाव में निविदादाता की दरें स्वीकार नही होगी।

12– जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि एवं निविदा फार्म शुल्क नगद अथवा बैंक ड्राफट द्वारा स्वीकार की जाएगी । बैंक ड्राफ्ट **प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय,.नैचाना(रेवाड़ी)** के पक्ष में देय होगा जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी ।

13– सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रेवाड़ी होगा ।

14– निविदादाता निविदा के साथ निम्न सत्यापित प्रमाण संलग्न करेंगे :–

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर की सत्यापित प्रतिलिपि ।
ब. फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाणपत्र की प्रति।
स. आधार कार्ड की प्रति

प्राचार्य

उपर्युक्त शर्ते मुझे मान्य है।

स्थान.............................

की मुहर

दिनांक.........................

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म का नाम व पता व फर्म